p.N.OK, OIC

(4)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007–08/1881 दिनांक 26 मई, 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007–08 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र0सं0	पत्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	144	एम.आर.एस.श्रीकृष्ण प्रणामी कन्या महाविद्यालय, भादरा	भादरा, हनुमानगढ	बीकानेर, विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	125	श्री गुरुनानक खालसा महाविद्यालय	अनुपगढ, श्रीगंगानगर	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	13	अग्रसेन कन्या पी.जी.महाविद्यालय	खैरली, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	68	टैगोर महाविद्यालय	गुढा गौड जी झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	75	न्यू राजस्थान बालिका पी.जी. महाविद्यालय	अणगासर रोड, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	66	श्री रामप्रसाद बोहरा महाविद्यालय, गुहाना	गुहाना, झुंझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	149	भूपाल नौबल्स विधि महाविद्यालय	तहसील गिर्वा, उदयपुर	एम.एल.एस विश्वविद्यालय उदयपुर	विधि
8	22	कीन महाविद्यालय	बीकानेर–334003	बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	107	भगवती कन्या महाविद्यालय	गणेश कालोनी, गंगापुर सिटी	[illegible] कोटा	[illegible] विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

प्राचार्य
अग्रसेन महिला महाविद्यालय
खेरली (अलवर) राज०

मंत्री
महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षा [illegible]
खेरली [illegible]

4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा / आकाशि / अनु / 2007–08 / 1381 दिनांक 26 मई, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(iii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(iv) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(v) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / कोटा विश्वविद्यालय, कोटा / बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर / एम0एल0एस0 विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
(vi) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(vii) जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ / श्रीगंगानगर / अलवर / झुंझुनू / उदयपुर / बीकानेर / उदयपुर / कोटा / सीकर / जयपुर / सवाई माधोपुर ।
(viii) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय ।
(ix) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(xi) संबधित संस्था / महाविद्यालय पत्रावली ।
(xii) रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

S.B.I
34555 8462
गंगानगर

P. N. O'C.

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमाक : एफ 4 ( ) लेखा/आकाशि/अनु/1997/8047 दि0 22 जुलाई, 08

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्र0 एफ 4 (23)आकाशि/ अनु/2007–08/1881 दिनांक 26.6.07 के द्वारा अग्रसेन कन्या पी.जी. महाविद्यालय, खेरली, अलवर के स्थान पर **"अग्रसेन महिला महाविद्यालय, खेरली, अलवर"** पढा जावें।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, अलवर।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
10. सांख्यकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्राचार्य
अग्रसेन महिला महाविद्यालय
खेरली (अलवर) राज0

मंत्री
महाराजा श्री अग्रसेन शिक्षण संस्थान